फद अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

चम्पा व अन्य

बनाम

तेजाराम इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 36 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2025	पत्रावली बाद जांच होकर पेश हुई। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2025 बअनवान तेजाराम व अन्य बनाम चम्पा इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2025 के विरुद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री शैतानराम चौधरी उपस्थित। अपील नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट्स के अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात रेस्पोडेंट्स को सुने बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बिना इस स्तर पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। वकील अपीलांट्स के निवेदन पर रेस्पोडेंट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजने हेतु वकील अपीलांट्स को दस्ती जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली आईंदा दिनांक 13.03.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	उ.सि. नोटिस 514-15 12/2/25
14/3/2025	13/03/2025 राजकीय अवकाश होने से पत्रावली पेश हुई। अपीलांट/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता उप.। पीठासीन अधिकारी आज दौरे पर/अवकाश पर/बीमार छुट्टी में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/3/2025 को पेश हो। रीडर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	प्रत्यर्थी-1 Rakesh Kumar त.मि. 934 19/3/25
21/3/25	पत्रावली पेश। अधिवक्ता अपीलांट स्वयं। रेस्पो. संख्या 1 श्री ओम से अधि. राकेश के व.प. पेश। अधि. अपीलांट ने order sheet पर Note Press किया लिहाजा अपील अपीलांट पक्ष Note Press खारिज की जाती है। पत्रा. ... हेतु ... में ... की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	Note Press अपीलार्थी वकील (शैतानराम)